

## FORM-4

(For Liner Projects)  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector New Tehri

No ... 86 / XXVI - 165 (16-17)

Dated ..... 28-6-2012

### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3 August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5 February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.730**hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Executive Engineer, Cons.Divi Poy jal Nigam, Chamba for **Suridhar GoV pumping Water Supply Scheme** (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of village(s) in **Tehri Tehsils**.

It is further certified that.

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.730**Hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed in annexure.
- (b) The diversion of the forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it,
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Enclosure. As above

  
 Executive Engineer  
Committee Member  
Uttarakhand Panchayat Adhikar  
Vikas Evam Nivaran Nigam  
Chamba (Tehri Garhwal)

  
 ( चौमिका )  
 जिला अधिकारी  
 दिनेश गुर्जर  
 District Collector  
New Tehri

**OFFICE OF DISTRICT COLLECTOR  
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTRAKHAND)**

**Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under schedule  
Tribes & Other Traditional Fores Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006**

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District Constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Smt. Sonika I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in Which the applicant claiming rights in Thauldhar Block area measuring **0.730 Hectare** for the construction of **Suridhar Govt Pumping Water Supply Scheme** in Tchsil Tehri/Kandisaur of forest land under FRA 2006 of the following application duly processed and recommended by the sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level committee recommended the above case for diversion for the said purpose.

Dated, 27-6-2017

Place - Tehri

( सौनिका )  
जिला अधिकारी

District Collector Com/Chairman  
District Tehri Garhwal  
New Tehri

Executive Engineer  
Constituted under  
Uttarakhand Forest Rights Adm'n  
Vinesh Kumar Nigam  
Chamba (Tehri Garhwal)

It is Further certified that Minutes fo meeting Suridhar GoV Pumping Water Supply Scheme regarding FRA is as following.

Dated : 27-6-2017

SL No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.730 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (S) Gram Sabha sub Division Level committee (S) and District Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate concerned village regarding construction of aforesaid Motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

*Dawat*  
श्रीमती दीप्ति सरस्वती  
टिहरी गढ़वाल  
जिला पर्यावरण विभाग  
लौहधार, टिहरी गढ़वाल

सदाजा कल्याण अधिकारी अधिकारी  
जिला टिहरी गढ़वाल  
टिहरी गढ़वाल

प्रतिरक्षित  
प्रभाग अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल  
जिला पर्यावरण प्रभाग  
टिहरी गढ़वाल

*H*  
(संग्रहीकरण)  
जिला अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के सूरीधार ग्राम समूह परियंग पेयजल योजना का निर्माण।

### जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल के थौलधार ब्लॉक के सूरीधार ग्राम समूह परियंग पेयजल के निर्माण हेतु 0.730है० वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु जल निगम, चम्बा को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9 / 98-एस०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ३००एफ०सी० केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजना को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह ( Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

Executive Engineer  
Construction Division  
Marmatham Prayojan Sansadhan  
Vikas Gram Nigam Nigam  
Chamba (Tehsil Garhwal)  
अधिशासी अभियन्ता,  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
चम्बा (टिंगो)

( स्वामीनारायण )  
जिला अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल  
जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल।

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण प्रेयजल योजना का  
निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी टिहरी  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण –पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति टिहरी

तहसील टिहरी परिषेव के अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह परियंग पेयजल योजना का निर्णय (आरक्षित वनभूमि 0.285 है 0, सिविल सोयम भूमि 0.445 है 0 कुल भूमि 0.730 है 0) जल निगम, चम्बा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में छस्तागतरित किये जाने हेतु अनुसृचेह जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (दन अधिकारों की गान्धता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील टिहरी) की दिनांक 12-06-2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुरूपित जनजाति और अन्य प्रभागत वन निवारी (वन अधिकारों की गान्धता) अधिनियम 2006 एवं नियन 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार रामिति की बैठक श्री उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिटि की अध्यक्षा में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

- |    |                        |   |  |
|----|------------------------|---|--|
| 1. | श्री लैला भौतेक        | उपजिलाधिकारी                                      | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 2. | श्री किं० कॉलिंट       | उप प्रभागीय वनाचिकारी                             | <input type="checkbox"/>               |
| 3. | श्री राजारुद्र खाना    | सहायक सचाइ कल्याण अधिकारी                         | <input type="checkbox"/> सदस्य / संयिव |
| 4. | श्री जसवीर (सिंहगोड़ा) | क्षेत्र पंचायत (एक) / ज्येष्ठ उपपुरुष<br>प्रबंधका | <input type="checkbox"/> सदस्य         |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों जा बैठक ने स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। गाननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना हेतु 0.730 है० वनभूमि जल निगम, चम्बा प्रबोक्ता ऐजेन्सी के जल में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव गाननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया ग्रामसंग के अन्तर्गत बनाधिकार का कोई कामला लगित नहीं है। उक्त नूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति रो पारित प्रस्ताव के आधार पर लाइजिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2008 के प्राविधान को रपष्ट करते हुए

(2)

जानकारी से माननीय सदरयों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दबा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस रामबन्ध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा भी अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में लकड़तन्त्रिति से तहसील टिहरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत सूरीधार मन्दिर ग्राम समूह पश्चिम घेयजल योजना के निर्माण लेते 0.730 हैं। वनभूमि जल निगम, चम्बा प्रयोक्ता एजेन्टी को जनहित में रक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर लकड़तन्त्रित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

१६

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील टिहरीप जिलाधिकारी  
जनपद टिहरीटिहरी, टिहरी

इतिहासिपि – जिलाधिकारी, टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील टिहरी  
जनपद टिहरी

बहावीर सिंह शर्मा  
खण्ड उपचुन्त  
विठं लग-दीलधार  
टिहरी गढ़वाल

संवाद प्रभाग  
संचालित उप वन प्रभाग

~~खण्ड विकास अधिकारी  
विकास खण्ड अधिकारी, (टिहरी)~~

~~महाराज चम्बा वनस्पति अधिकारी  
विकास खण्ड दीलधार  
जिला—टिहरी गढ़वाल~~

करिकोजना का नाम :- जनपद ठिहरी गढ़वाल के सूरीधार ग्राम समूह पर्याप्त गेयजल योजना का निर्माण।

### उप जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल के थोलधार ब्लॉक के सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल के निर्माण हेतु 0.73 है। वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु जल निगम, बन्धा को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु इसलिए प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र रांख्या 11-9/98-एस0सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ३००एफ०सी० के बिल पाईप लाईन वित्तान आदि परियोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रगाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर अदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व इन्हें कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

सहायक अधिकारी  
निर्माण शाखा  
जलशाखण्ड प्रेषणल निगम  
सहायक अधिकारी )  
जलशाखण्ड प्रेषणल निगम,  
चम्बा (टिंगो)

 Executive Engineer  
Construction Division  
Uttarakhand Paryavaran Sansadhan  
Villas Byam Niranjan Nagar  
Chandigarh (Uttarakhand)  
उत्तराखण्ड पर्यावरण निगम,  
चंडीगढ़ (उत्तराखण्ड)

८५  
तात्पुर नदी  
टिहरी  
टिहरी गढ़

उपर्युक्त विज्ञारी  
उत्तराखण्ड काशी  
ठिहरी, टिठगा

परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम— जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह परिपंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु ०.७५५० आरक्षित वन/सिविल सौयम भूमि को ३० वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्रन्थ पंचायत का नामः— ओटेश्वर

तहसीलः— टिहरी / कण्ठीसौङ् टिहरी गढवाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पमिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु ०७३ हेठो आरक्षित वन/सिविल सोबम भूमि को ३० वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु ०.७३४० आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढ़वाल को सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्पित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मुक्ति द्वारा दिनांक 12-5-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति इनाम निर्गत करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम समूह परियंग पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी नदीवाल को सूरीधार ग्राम समूह परियंग पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



## परियोजना शीर्षक

**कार्य का नाम-** जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु ०.८५४० आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को ३० वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनाक १२-५-१७ को ग्राम पंचायत मालेप में सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत मालेप द्वारा जनहित को व्याप में रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। दिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नहीं है।

क्रमांक	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
१.	राजकीर्ण सिंह भट्टाचार्य	R.S.Bhattacharya -
२.	सुन्दर सिंह पवार	सुन्दर सिंह
३.	विनोद सिंह भट्टाचार्य	विनोद
४.	कृति सिंह भट्टाचार्य	K.S.
५.	संत सिंह भिलांगा	संत
६.	राजेन्द्र सिंह भिलांगा	राजेन्द्र
७.	लक्ष्म लिंग गुलांड	लक्ष्म गुलांड
८.	महावीर भट्ट	महावीर
९.	दिलजीत खांडे	दिलजीत
१०.	रामन जाथी	रामन
११.	मालेप	मालेप



## परियोजना शीर्षक

**कार्य का नाम—** जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु ०.७३ हेठो आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

**बनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र**

ग्रम पंचायत का नाम— भूमि ३५

**तहसील—** टिहरी / कण्डीसौड टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कार्य का नाम— जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु ०.७३ हेठो आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु ०.७३ हेठो आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढ़वाल को सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना विभाग/संसद्धा के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्याखरित करने हेतु आवंदन प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकरण के विषय में ग्रम पंचायत भूमि ३५ द्वारा दिनांक १५-८-२०१२ को सम्पन्न ग्राम समूह/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति अन्तर्गत करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। अधिक्षित जनी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त इस समूह द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढ़वाल को सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



## परियोजना शीर्षक

**लाइंस का नाम—** जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु ८३५०० आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनांक १५-५-१२ को ग्रम पंचायत प्रौद्योगिकी २५५ में सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्रम पंचायत प्रौद्योगिकी ३५५ द्वारा जनहित को व्याप में रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नहीं है।

क्रमांक	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
१.	प्रभादेवी	प्रभादेवी
२.	मनोज कुमार	मनोज कुमार
३.	रमेश कुमार	रमेश कुमार
४.	विजय कुमार	विजय कुमार
५.	सुविजय कुमार	सुविजय कुमार
६.	आनन्द सिंह	आनन्द सिंह
७.	लक्ष्मण देवी	लक्ष्मण देवी
८.	अमरता देवी	अमरता देवी
९.	भावना लल्लू	भावना लल्लू
१०.	प्रज्ञा लिंग	प्रज्ञा लिंग



## परियोजना शीर्षक

**कार्य का नाम:-** जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण पेयजल योजना के निर्माण हेतु ०.७३ हेठो आरक्षित वन/सिविल सौयम भूमि को ३० वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

### वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- टिहरी

तहसील:- टिहरी/कण्डीसीडी टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण पेयजल योजना के निर्माण हेतु ०.७३ हेठो आरक्षित वन/सिविल सौयम भूमि को ३० वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु ०.७३ हेठो आरक्षित वन/सिविल सौयम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढ़वाल को सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण पेयजल योजना विभाग/संस्था के द्वारा में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्त्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ५५०२१ द्वारा दिनांक १९-५-१७ को सम्बन्ध ग्राम सम्बन्ध/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति अन्तर्गत निर्गत करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। चर्चा सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त जान कला द्वारा सर्वसमानि से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम कर्तृक पर्यावरण पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढ़वाल को सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



परियोजना शीर्षक

(32)

**कार्य का नाम-** जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह परियंग पेशजल योजना के निर्माण हेतु ०.७३ हेठा आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को ३० वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनांक १९-५-१७ को ग्रम पंचायत पीला में सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्रम पंचायत पीला द्वारा जनहित को घटन में रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नहीं है।

क्रमांक	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
१	भवना (गुडगाडी)	Ram
२	मनोज भट्ट (गुडगाडी)	Ram
३	विरेन्द्र (गुडगाडी)	Ram
४	ललत कपूर	ललत कपूर



## परियोजना शीर्षक

**कार्य का नाम:-** जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हेक्टर आरक्षित वन/सिविल सौथम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

### वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्रम पंचायत का नाम:- टिहरी

तहसील:- टिहरी/कण्डीसौङ टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हेक्टर आरक्षित वन/सिविल सौथम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु 0.73 हेक्टर आरक्षित वन/सिविल सौथम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढ़वाल को सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण पेयजल योजना विभाग/संस्था के पक्ष ने भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था।

उक्त प्रश्न के विषय में ग्रम पंचायत टिहरी द्वारा दिनांक 22/5/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्राप्ति निर्णय करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव परित किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढ़वाल को सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ए०

ग्राम प्रबाल

मन्त्री/दस्ती

प्रियोजन

प्रबाल (टिहरी)

## परियोजना शीर्षक

कार्ब का नाम— जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हेक्टेक्टर आरक्षित वन/सिविल सौयम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनांक 21/5/17 को ग्रम पंचायत ४२३१ में सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण पेयजल योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्रम पंचायत ४२३१ द्वारा जनहित को व्याप्ति ने रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नहीं है।

क्रमांक	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1	कमल कुमार लिंग लक्ष्मी	कमल कुमार लक्ष्मी
2	भट्टलक्ष्मी रावत	भट्टलक्ष्मी रावत
3	कलम लिंग रावत ५० मेंदालिंग	कलम लिंग रावत ५० मेंदालिंग
4	दर्शन लिंग रावत	दर्शन लिंग रावत
5	मानस लिंग रावत	मानस रावत
6	कलम लिंग रावत - प्र	कलम लिंग रावत - प्र
7	दृष्टि लिंग रावत	दृष्टि लिंग रावत
8	प्रियंका रावत	प्रियंका रावत



## परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण पेयजल योजना के निर्माण हेतु ०७३ हेठो आरक्षित वन/सिविल सौयम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- भूमुखी

तहसील:- टिहरी/कण्डीसौड टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण पेयजल योजना के निर्माण हेतु ०७३ हेठो आरक्षित वन/सिविल सौयम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु ०७३ हेठो आरक्षित वन/सिविल सौयम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढ़वाल को सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण पेयजल योजना विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भूमुखी द्वारा दिनांक २१-५-१२ को सम्पन्न ग्राम सम्म/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति इच्छना निर्गत करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी वन कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उक्त समीक्षित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सम्म द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम कमूँ पर्यावरण पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढ़वाल को सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



परियोजना शीर्षक

**जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह परिवर्ग पेयजल योजना** के निर्माण इतु**०७३** हेठा आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

जान दिनांक 21-5-17 को ग्रम पंचायत उपर्धा में सूरीधार ग्राम समूह  
समिक्षा प्रणाली योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्रम पंचायत उपर्धा: द्वारा जनहित  
को लाभ ने रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह पर्याप्त प्रयोजन योजना को अति आवश्यक समझा गया।  
जिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नहीं है।

<p>प्राप्ति वह स्थीर के नाम</p> <p>राम-चन्द्र लिंग-रूपा</p> <p>पत्नी लिंग नोंदा</p> <p>संस्कृत लिंग</p> <p>वंशज लिंग रामप्रसाद</p>	<p>हस्ताक्षर</p> <p></p> <p>पत्नी लिंग</p> <p>Ram</p> <p></p>
--	---



परियोजना शीर्षक

**कार्य का नाम:-** जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्याप्त पेयजल योजना के निर्माण हेतु ६२३ हेठो आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को ३० वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रगाण पत्र


ग्रन्थ पंचायत का नाम:-

तहसील:- टिहरी / कण्डीसौँड टिहरी गढवाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के बन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु । १३ हेठले आरक्षित वन/सिविल सौख्यम् भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु ०२५० आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण पेयजल योजना विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत एजेन्सी द्वारा दिनांक २५-५-१३ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रकाश निर्गत करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत ज्ञानदेत वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरानत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव परिचय किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम समूह परियंग पैयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पैयजल निगम-घम्बा टिहरी बड़दाल को सूरीधार ग्राम समूह परियंग पैयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय डेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



## परियोजना शीर्षक

**कार्य का नाम—** जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पभिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु ०७३ हेठो आरक्षित वन/रिविल सोयम भूमि को ३० वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनांक २५-५-१७ को ग्राम पंचायत ~~मुराजाखोट~~ में सूरीधार ग्राम समूह रिविल पेयजल योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत ~~मुराजाखोट~~ द्वारा जनहित को ध्यान ने रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह पभिंग पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नहीं है।

क्रमांक	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
१-	कुमार नेहरू सेमवाल	कुमार नेहरू
२-	राजेन्द्र चिह्न	राजेन्द्र चिह्न
३-	देसपाल सिंह	देसपाल सिंह
४-	राज्यु प्रसाद सेमवाल	राज्यु प्रसाद
५-	राजेन्द्रवर्मी ज्ञानवाल	राजेन्द्रवर्मी सेमवाल



## परियोजना शीर्षक

**कार्य का नाम:-** जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु ०७३५० आरक्षित वन/सिविल सौयम भूमि को ३० वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

### वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-

तहसील:- टिहरी/कण्डीसौड टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु ०७३५० आरक्षित वन/सिविल सौयम भूमि को ३० वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु ०७३५० आरक्षित वन/सिविल सौयम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढ़वाल को सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना विभाग/संस्था के द्वारा ने भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत टिहरी द्वारा दिनांक २६-५-१७ को सम्पन्न ग्राम सभा/ब्रान पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्णय करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी द्वा कब्जा/कृषि कार्य हैं अथवा नहीं। उक्त आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त उक्त सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढ़वाल को सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



## परियोजना शीर्षक

**कार्य का नाम—** जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण पेयजल योजना के निर्माण हेतु ०७२५० आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनांक २६-५-१७ को ग्रम पंचायत में सूरीधार ग्राम समूह सिविल पेयजल योजना हेतु वैठक बुलाई गई, जिसमें ग्रम पंचायत द्वारा जनहित को व्यापार में रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह पर्यावरण पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नहीं है।

क्रमांक	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
	केलाराम डेवरील	केलाराम
	बाराम्बा लिलै	बाराम्बा लिलै
	सोलना देवी	सोलना देवी
	मुरारी लाल	मुरारी लाल
	उन्नुम सिंह	उन्नुम सिंह
	मुमो प्रकाश	मुमो प्रकाश
	मुमो लाला	मुमो लाला
	बिजम पुराना	बिजम पुराना



## परियोजना शीर्षक

**कार्य का नाम:-** जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु ०७३ हेठो आरक्षित वन/सिविल सौयम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

**वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र**

**ग्राम पंचायत का नाम:-** हेठली

**तहसील:-** टिहरी/कण्डीसौङ टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु ०७३ हेठो आरक्षित वन/सिविल सौयम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु ०७३ हेठो आरक्षित वन/सिविल सौयम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढ़वाल को सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तीत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत हेठली द्वारा दिनांक २१-५-१० को सम्पन्न ग्राम सभा/दाम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति इनाम निर्णय करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। अस्तित्व सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढ़वाल को सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के लियोंग हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

इ  
ग्राम प्रधान



परियोजना शीर्षक

**कार्य का नाम-** जनपद ठिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु ६७३ हेतु आरक्षित वन / सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनांक 21-5-10 को ग्राम पंचायत हैदराबाद में सूरीधार ग्राम समूह परिवर्तन प्रयोजन योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत हैदराबाद द्वारा जनहित को इसन में रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह परिवर्तन प्रयोजन योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसने इसन वासियों को कोई आपत्ति नहीं है।

क्रमांक	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1-	पृथिवी अंगिला देवी	नीलम डोमाल
2-	श्रीमति बना देवी	बना देवी
3-	श्रीमाति लक्ष्माला देवी	कुमारा देवी
4-	कोहवा सिंह	<u>कोहवा</u>
5-	राजेन्द्र सिंह कीर्ति	<u>राजेन्द्र</u>
6-		



## परियोजना शीर्षक

**कार्य का नाम:-** जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु ०७३४० आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

**वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र**

**ग्राम पंचायत का नाम:-** टिहरी

**तहसील:-** टिहरी/कण्डीसौङ टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु ०७३४० आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु ०७३४० आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढ़वाल को सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना विभाग/संस्था के द्वारा में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत टिहरी द्वारा दिनांक २९-०५-१७ को सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति इनाम निर्गत करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उक्त सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम-चम्बा टिहरी गढ़वाल को सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निकाल हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



## परियोजना शीर्षक

**कार्य का नाम-** जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु ०७३ हेठो आरक्षित वन/सिविल सौथम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

ज्ञान दिनांक २१-०५-७२ को ग्राम पंचायत ३१०४८ में सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत ३१०४८ द्वारा जनहित को ज्ञान में रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसने ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नहीं है।

क्रमांक	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
१	रतन सिंह	रतन सिंह
२	वीरेन्द्र राणा	वीरेन्द्र राणा
३	भूलप सिंह	भूलप सिंह
४	विल्लाक चंद	विल्लाक चंद
५	नंदन दुर्घानी	नंदन दुर्घानी
६	रामराम सिंह	रामराम सिंह
७	बुजाद	बुजाद
८	सुलाली	सुलाली
९	भगवन्न चंद	भगवन्न चंद
१०	—	—



परियोजना शीर्षक

(4)

**कार्य का नाम:-** जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्याप्त पेयजल योजना के निर्माण हेतु ७३ हेठो आरक्षित वन/सिविल सौयम भूमि को ३० वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रभाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- डॉ. गुरु

तहसील:- टिहरी / कण्डीसौड टिहरी गढवाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु ३५ हेक्टेएक्टिक वन/सिविल सॉब्सन भूमि को ३० वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु ०७३५० आरक्षित वन/सिविल सौयम भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को सूरीधार ग्राम समूह पर्यिंग पेयजल योजना विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यायर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत (शिल्पो) द्वारा दिनांक ३०-०५-१० को सम्बन्धी ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति अन्तर्गत निर्णय करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त इन सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पैयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पैयजल निगम चम्बा दिही गढ़वाल को सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पैयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



४०

प्राण { यन्मिष्यते  
यन्मिष्यते  
सिद्ध-यन्मिष्यते  
यन्मिष्यते }

## परियोजना शीर्षक

**कार्य का नाम:-** जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु ७३ हेठो आरक्षित वन/सिविल सौयम भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनांक ३०-०५-१८ को ग्राम पंचायत ..... दोहो बुधी ..... में सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत ..... दोहो बुधी ..... द्वारा जनहित जो प्लान में रखते हुए सूरीधार ग्राम समूह पर्मिंग पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नहीं है।

क्रमांक	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1/	बिनोर चौहा	.....
2/	रमेश चौहा देवी	सूरीधा देवी
3/	“ दुष्ट देवी	दुष्ट देवी
4/	“ लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी
5/	रमेश चौहा -पर्स	Sashed Chand
6/	“ नाथी -पर्स	नाथी
7/	“ रमेश -पर्स	रमेश
8/	“ रमेश चौहा	रमेश चौहा
9/	“ लक्ष्मी -पर्स	लक्ष्मी
10/	“ लक्ष्मी चौहा	लक्ष्मी चौहा
11/	“ रमेश चौहा	रमेश

